डीएमआरसी के कॉरपोरेट सामजिक उत्तरदयित्व के अंतर्गत मेट्रो पर सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए नीति

1.0 उद्देश्य

सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन होने के नाते, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सामाजिक मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अपने हितधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को शिक्षित करने के लिए, डीएमआरसी द्वारा समय-समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। डीएमआरसी द्वारा चलाए गए कुछ क्रियाकलाप निम्नलिखित हैंः-

1. दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों में एचआईवी/एड्स/एसटीआई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए गए हैं। जागरूकता फैलाने के लिए प्रयोग किए गए माध्यमों में बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, गीत, सामूहिक चर्चा, परामर्श एवं मैजिक शो शामिल हैं।
2. डीएमआरसी अपने श्रमिकों और उनके बच्चों को चिकित्सा सुविधांए एवं शिक्षा सेवाएं मुहैया करा रहा है।
3. स्थानीय निवासियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों एवं परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए समय-समय पर सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम चलाए गए हैं।
4. डीएमआरसी ने तीस हजारी में 125 बच्चों के रहने के लायक एक चिल्ड्रन होम बनाया है जिसमें 5 डॉरमेटरी, दो कक्षाएं, एक खेल का मैदान, एक एम्फीथिऐटर, एक पुस्तकालय और एक भोजनालय है। चिल्ड्रन होम में सभी आवश्यक फर्नीचर प्रदान किए गए हैं और इसका प्रबंधन सलाम बालक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
5. गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली के निकट कालकाजी में एक 'विंटर एज होम' खोला गया है और यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'हेल्प एज इंडिया' नामक गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से वर्ष, 2011 से प्रत्येक वर्ष नवंबर से मार्च तक चलाया जा रहा है।

प्रतिष्ठित समितियों/ गैर-सरकारी संगठनों/ट्रेस्ट/ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रय संगठनों के लिए सहायता जारी रखने के लिए, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में डीएमआरसी की नीति के अंतर्गत दिनांक 01/03/2018 से 28/02/2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सामाजिक हितों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित नीति प्रस्तावित है।

2.0 पात्रता

आवेदक संगठन निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेगाः-

2.1 सोसाइटी/ट्रस्ट (न्यास) अधिनियम के अधीन कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

2.2 इसे भारत में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत होनी चाहिए।

2.3 इसे बिना लाभ कमाने वाली सोसाइटी होना चाहिए।

2.4 आय कर अधिनियम की धारा 80-छ के अधीन प्रमाणन होना चाहिए।

2.5 इसे कभी भी किसी सरकारी/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए या उनसे प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए।

2.6 इसके या इसके किन्हीं पदाधिकारियों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

2.7 निम्नलिखित संगठन को वरीयता दी जाएगाः-

2.7.1 जिसके पास एफसीआरए पंजीकरण/स्वीकृति हो।

2.7.2 जिसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो।

2.7.3 जो आवेदन की तारीख को केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहा हो।

2.8 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मेट्रो स्टेशनों पर गैर वाणिज्यिक सामाजिक अभियान चलाने के लिए आवेदन कर सकते है।

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रय संगठनों/समितियो/ गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों/ को सामाजिक अभियान चलाने की अनुमति देने के संबंध में डीएमआरसी का निर्णय अंतिम होगा।

2.9 खंड नं 2.0 के आधार पर, सरकार / सरकार के द्वारा अनुदानित संगठन को इस अभियान मे सुरक्षा जमा एवं अन्य दस्तावेजों में छूट दी जा सकती है मामलों आधार पर ।

3.0 <u>मीडिया प्रकार एवं अवस्थान</u>

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के आधार पर पात्र संगठनों को सामाजिक हितों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निन्नलिखित साधनों का प्रयोग करने की अनुमति होगीः-

3.1 <u>स्टेशन</u>

3.1.1 निर्धारित अवस्थानों पर बैनर।

3.1.2 स्टैंडीज।

3.1.3 6X6 वर्गफुट के आकार एवं 10 फुट की ऊंचाई तक का केनोपी।

4.0 <u>निर्धारित स्टेशन</u>

सामाजिक हितों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सर्वाधिक प्रयुक्त स्टेशनों को निर्धारित किया गया हैः-

(i) शाहदरा (लाइन-1)
(ii) कश्मीरी गेट (लाइन-1/2)
(iii) विश्वविद्यालय (लाइन-2)
(iv) चांदनी चौक (लाइन-2) (केवल बैनरों और स्टैंडीज)
(v) चावड़ी बाजार (लाइन-2) (केवल बैनरों और स्टैंडीज)
(vi) नई दिल्ली (लाइन-2) (केवल बैनरों और स्टैंडीज)
(vii) राजीव चौक (लाइन-2) (केवल बैनरों और स्टैंडीज)
(viii) उत्तम नगर पूर्व (लाइन-3)
(ix) जनकपुरी पश्चिम (लाइन-3)

(x) आनंद विहार आईएसबीटी (लाइन-4)

किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण इस प्रयोजनार्थ निर्धारित कोई और स्टेशन।

5.0 समयावधि एवं अन्य दिशानिर्देश

मानदंड निम्नलिखित हैं:-

5.1 बढ़ावा देने के कार्य को सामान्यतया एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों की अवधि दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, एक महीने को 3 विभिन्न अवधियों में विभाजित किया जाएगा अर्थात् 01-10, 11-20 एवं 21-28/29/30/31

5.2 किसी एक संगठन को सामान्यतया एक वर्ष में केवल एक बार ही अनुमति दी जाएगी।

5.3 सामन्यतया किसी एक संगठन को 10 स्टेशनों तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.4 किसी एक स्टेशनपर सामान्यतया 3 बैनरों तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.5 किसी एक स्टेशन पर सामान्यतया 3 स्टैंडीज तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.6 किसी एक स्टेशन पर सामान्यतया 2 कैनोपी तक के लिए अनुमति दी जाएगी। कैनोपी में तैनाती के लिए 2 प्राधिकृत व्यक्तियों तक के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.7 स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में लगाए गए कैनोपी से पम्फलेट्स/ब्रोशर के वितरण की अनुमति दी जाएगी। पम्फलेट्स/ब्रोशर के वितरण से गंदगी हो सकती है। स्टेशन परिसरों को साफ रखने की जिम्मेदारी, बढ़ावा देने के क्रियाकलाप में शामिल संगठन की ही होगी।

5.8 स्टेशन प्लेटफॉर्म पर किसी क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होगी।

5.9 संबंधित संगठन अपनी पूरी जिम्मेदारी से स्थल पर सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखेगा।

5.10 अभियान के प्रयोजन के लिए रेलगाड़ी से यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

यदि आवेदक संगठन 10 दिनों से अधिक समय के लिए परियोजना चलाना चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है किंतु डीएमआरसी मामला-दर-मामला आधार पर मेरिट के आधार पर अनुमति देगा।

6.0 सामग्री और संबंधित लागत

6.1 क्रियाकलाप आवेदक संगठन की जोखिम एवं लागत से किया जाएगा।

6.2 सूचना सामग्री और श्रमिक की लागत का वहन संबंधित संगठन द्वारा किया जाएगा।

6.3 डीएमआरसी के लिखित अनुमोदन के पूर्व कोई सामग्री/सूचना प्रदर्शित या वितरित नहीं की जानी चाहिए।

6.4 बैनर/कैनोपी/स्टैंडी दिखने में अच्छी होनी चाहिए।

6.5 प्रयुक्त सामग्री अग्निरोधक होनी चाहिए।

7.0 क्षतिपूर्ति बॉड

पात्र संगठन उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर, जो सम्यक रूप से नोटराइज्ड हो, पर एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करेगा जिसमें अभियान के दौरान मेट्रो यात्रियों, डीएमआरसी के कार्मिकों, सामग्री एवं संपत्ति और स्वंय उसके कार्मिकों और सामग्री को हुए किसी नुकसान, चोट, क्षति के लिए डीएमआरसी को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने तथा ऐसी घटना के परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च का वहन करने का वचन देना होगा। प्रपत्र अनुलग्नक-क में दिया गया है जिसे अभियान शुरू होने से पहले प्रस्तुत किया जााना अपेक्षित है।

8.0 <u>जमानत राशि</u>

पात्र संगठन भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी डीएमआरसी लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 25,000/- रूपए की जमानत राशि अग्रिम रूप में डीएमआरसी में जमा करेगा। इसे सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करते हुए अभियान के सफल रूप से समापन के बाद संगठन को वापस किया जाएगा।

8.1 सरकार / सरकार के द्वारा अनुदानित संगठन को इस अभियान मे सुरक्षा जमा में छूट दी जा सकती है मामलों के आधार पर ।

9.0 <u>आवेदन प्रक्रिया</u>

9.1 सामान्यतया, आवेदनों को पहले आओ, पहले पाओ आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन प्रारूप (फार्म) अनुलग्नक-ख में है।

9.2 आवेदनों की प्राप्ति के बाद, अनुलग्नक-ग के अनुसार प्राथमिकता रजिस्टर में ब्यौरे भरे जाएंगे।

9.3 आवेदक संगठन को अपनी पात्रता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगाः-

9.3.1 पंजीकरण प्रमाण पत्र

9.3.2 संगठन के उप नियम एवं उद्देश्य

9.3.3 आय कर अधिनियम की धारा 80-छ के अधीन प्रमाणन।

9.3.4 ट्रस्ट विलेख (डीड) या ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद (यदि कोई हो)

9.3.5 इस नीति में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेज।

9.4 आवेदक संगठन द्वारा बढ़ावा देने के प्रस्तावित क्रियाकलाप का ब्योरा डीएमआरसी के अनुमोदनार्थ अभियान से 45 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

9.5 डीएमआरसी को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा।

9.6 डीएमआरसी को पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत का अनुपालन किए बिना मेरिट एवं क्रियाकलापों और सामाजिक हित की प्राथमिकता के आधार पर किसी पात्र संगठन के बढ़ावा देने संबंधी क्रियाकलापों को अनुमति देने का अधिकार होगा।

9.7 कई आवेदनों की स्थिति में, डीएमआरसी को प्राथमिकता देने का अधिकार है।

10.0 <u>निष्पादन</u>

10.1 डीएमआरसी पात्रता मानदंड के अनुसार संगठन की पात्रता का आकलन करने के लिए आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच करेगी।

10.2 केवल पात्र संगठन को सहमति पत्र जारी किया जाएगा।

10.3 आवेदक संगठन के द्वारा अभियान शुरू करने से पहले सहमति पत्र स्वीकार किया जाना, 25,000/- रुपए की जमानत राशि तथा क्षतिपूर्ति बांड जमा किया जाना अपेक्षित होगा।

10.4 संगठन स्टेशन पर तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित स्टाफ की सूची और साथ ही उनके पहचान पत्रों एवं पता के प्रमाणों की प्रति प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित की प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैः-

10.4.1 आधार कार्ड

10.4.2 मतदाता पहचान पत्र

10.4.3 टेलिफोन बिल

10.4.4 पासपोर्ट

10.4.5 ड्राइविंग लाइसेंस

10.4.6 पैन कार्ड

10.4.7 मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उनके छात्रों हेतु जारी फोटोग्राफयुक्त छात्र पहचान

10.4.8 राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोग्राफयुक्त पासबुक

10.4.9 केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र

10.5 डीएमआरसी के सिक्योरिटी सैल का पास अनुभाग क्रियाकलाप की विधिमान्य अवधि के अनुसार इन स्टाफ के लिए फोटो प्रवेश परमिट जारी करेगा।

10.6 संगठन का प्रतिनिधि क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए स्टेशन प्रबंधक(कों) से संपर्क करेगा। किसी भी स्थिति में, क्रियाकलाप से यात्रियों की आवाजाही में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। डीएमआरसी द्वारा निर्णय किए गए अवस्थान अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

10.7 संगठन सहमति पत्र में अनुमति दिए गए क्रियाकलाप के पूरा होने के शीघ्र बाद स्थल से कार्मिकों एवं सामग्री को हटाएगा। यदि संगठन सहमति पत्र में यथा निर्धारित स्थान को खाली नहीं करता है तो डीएमआरसी को जमानत राशि जब्त करने और क्षति प्रभारों की वसूली करने का अधिकार होगा।

10.8 डीएमआरसी की संपति को नुकसान या क्षति होने की स्थिति में, डीएमआरसी संगठन की जमानत राशि से नुकसान/क्षति के मूल्य को काट सकता है।

10.9 क्रियाकलाप के पूरा होने तथा संगठन द्वारा स्थान खाली करने के बाद, वह अनुलग्नक-घ में दिए गए अनुसार अभियान आरंभ/पूर्ण होने संबंधी भरे हुए प्रमाण पत्र, जो संबंधित स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा और इस पर उनकी मुहर लगी होगी, के साथ जमानत राशि की वापसी के लिए अनुरोध कर सकता है।

10.10 डीएमआरसी स्थल पर किसी नुकसान/क्षति/स्थल खाली करने में विलंब के कारण देय राशि, यदि कोई हो, को काटने के बाद, ऐसा अनुरोध करने के 15 दिनों के भीतर डीएमआरसी जमानत राशि वापस कर देगी।

10.11 यदि संगठन अभियान समाप्त होने के 48 घंटों के भीतर सामग्री को स्थल से नहीं हटाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और डीएमआरसी को स्थल से सामग्री को हटाने का अधिकार होगा।

11.0 <u>डीएमआरसी का लोगो और नाम</u>

11.1 संगठन को अन्य अभियानों सहित किसी अन्य प्रयोजन के लिए डीएमआरसी के नाम और लोगो का प्रयोग करने की अनुमति नही होगी।

11.2 प्रस्तावित सूचना सामग्री को डीएमआरसी के नाम और लोगो को प्रयोग करने का अधिकार डीएमआरसी लिमिटेड का होगा।

12.0 <u>अपवर्जन (एसक्लूजन)</u>

पात्र संगठन को निम्नलिखित बातों की आज्ञा नहीं हैः-

12.1 विज्ञापन

12.2 उदघोषणाएं

12.3 रेलगाड़ियों के भीतर बैनर

12.4 धार्मिक संदेश

12.5 ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग

12.6 देश के कानून द्वारा प्रतिषिद्ध कोई वस्तु

12.7 चुनाव अभियान

यह नीति दिनांक 01/03/2018 से दिनांक 28/02/2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

अधिक जानकारी या प्रश्नों के उत्तर के लिए कृपया संपर्क करेंः

वरिष्ठ उप महा प्रबंधक/परिचालन/समन्वय
चौथा तल, बी विंग,
मेट्रो भवन, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली- 110001
ईपीएबीएक्स-23417910 एक्सटेंशन-534323
ईमेल- goyalraman@dmrc.org

अनुलग्नक-क

क्षतिपूर्ति बॉंड

(उपयुक्त मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर)

मुझे, (अधिकारी का नाम)..................................., (पदनाम)...................., (संगठन)................................, जिसका पंजीकृत कार्यालय................. में है, दिनांक .... से दिनांक.............. तक............. दिनों की अवधि के लिए. .... (मेट्रो स्टेशनों के नाम) पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने के लिए डीएमआरसी लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। मैं एतद्द्वारा उक्त अभियान की अवधि के दौरान मेट्रो यात्रियों, डीएमआरसी के कार्मिकों, सामग्री एवं संपत्ति को तथा साथ ही हमारे कार्मिकों एवं सामग्री को हुए किसी नुकसान, चोट, क्षति, के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने तथा ऐसी घटना के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्च का वहन का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर...........................

नाम..............................

पदनाम............................

अनुलग्नक-ख

डीएमआरसी में सामाजिक जागरूकता अभियान के लिए आवेदन

क्र. सं.	मद	ब्यौरा
संगठन का ब्यौरा		
1.	संगठन का नाम	
2.	मुख्य व्यक्ति का नाम	
3.	संपर्क नंबर	
4.	संगठन का पंजीकृत कार्यालय	(पता लिखें)
5.	क्या सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है	हां/नहीं
6.	सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकरण की तारीख	
7.	सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकरण का स्थान	
8.	संगठन द्वारा चलाए गए सामाजिक सेवा अभियानों का ब्यौरा	अभियान (नों) का नाम, अवधि, अवस्थान आदि लिखें
9.	क्या लाभ कमाने वाला संगठन है	हां/नहीं
10.	क्या संगठन के पास आय कर अधिनियम की धारा 80-छ के अधीन प्रमाण पत्र है	हां/नहीं
11.	उपर्युक्त 10 के लिए प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें	
12.	क्या किसी सरकारी/विनियामक प्राधिकरण द्वारा काली सूची में डाला गया है या उनसे प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त हुई हैं	हां/नहीं
13.	क्या संगठन या इसके किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है	हां/नहीं
14.	क्या संगठन के पास एफसीआरए का पंजीकरण/स्वीकृति है	हां/नहीं
15.	उपर्युक्त 14 की प्रति संलग्न करें	
16.	क्या वर्तमान में केन्द्रीय/राज्य सरकार के साथ काम कर रहा है	हां/नहीं
17.	उपर्युक्त 16 का ब्यौरा प्रदान करें	
अभियान का ब्यौरा		
18.	अभियान का नाम/थीम	
19.	अभियान की अवधि, माह एवं वर्ष (नीति के 5.1 के अनुसार)	
20.	स्टेशन (नीति के 4.0 में निर्धारित) जहां अभियान चलाया जाना अपेक्षित है।	

21.	क्या अभियान सामग्री आवेदन के साथ संलग्न है	हां/नहीं

संगठन सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने तथा ब्याज रहित वापस की जाने वाली जमानत राशि के रूप में 25,000/- रुपए जमा करने के लिए सहमत है। जमानत राशि डीएमआरसी की पूरी संतुष्टि के अनुसार अभियान अवधि के समापन के बाद वापस की जाएगी।

हस्ताक्षर
संगठन की ओर से

अनुलग्नक-ग

डीएमआरसी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संगठनों से आवेदनों की प्राप्ति (रजिस्टर का प्रपत्र)

.............................माह के लिए
.... (01-10 या 10-20 या 21-28/29/30/31) की अवधि के लिए

क्र. सं.	संगठन का नाम	मुख्य व्यक्ति	संपर्क नंबर	संगठन का पता	आवंटन की तारीख	अभियान का थीम	आवेदक के हस्ताक्षर	डीएमआरसी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	अभियुक्तियां

अनुलग्नक-घ

अभियान आरंभ/पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र
(कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए डीएमआरसी नीति के अंतर्गत)

स्टेशन का नाम/लाइन...

आवेदक संगठन का नाम...

*अभियान आरंभ करने का ब्यौरा	तारीख	लगाए गए बैनरों की संख्या	लगाए गए स्टैंडीज की संख्या	लगाए गए कैनोपी की संख्या	आवेदक संगठन के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन नियंत्रक के हस्ताक्षर	स्टेशन की मुहर

*अभियान पूरा करने संबंधी ब्यौरा	तारीख	हटाए गए बैनरों की संख्या	हटाए गए स्टैंडीज की संख्या	हटाए गए कैनोपी की संख्या	आवेदक संगठन के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन नियंत्रक के हस्ताक्षर	स्टेशन की मुहर

आवेदक संगठन द्वारा खंड 10.6 से 10.11 के अनुपालन के संबंध में संबंधित स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक/ स्टेशन नियंत्रक की अभ्युक्तियां

* सभी मदों को समुचित रूप से अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।

टिप्पणीः- यह प्रमाण पत्र आवेदक संगठन द्वारा जमानत राशि की वापसी के लिए अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाऐे।